274
09-03-2018

बिहार सरकार,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

दिनांक–05.01.2018 को बिहार कौशल विकास मिशन के पदाधिकारियों के टीम के द्वारा एजेंसी CDOT के दानापुर प्रखण्ड अवस्थित कौशल प्रशिक्षण केन्द्र KYP code 06050016 का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के समय इस केन्द्र पर उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा यह शिकायत की गयी कि इस केन्द्र पर क्लास रुम सत्र का संचालन नियमित रूप से नहीं किया जाता है । प्रशिक्षणार्थियों की शिकायत पर क्लास रुम का निरीक्षण करने पर क्लास रुम सत्र संचालित नहीं पाया गया तथा वहाँ कोई प्रोजेक्टर भी नहीं पाया गया । क्लास रुम में अधिष्ठापित बेंच, डेस्क एवं अन्य उपस्करों पर धूल का परत पाया गया, जो यह प्रमाणित करता था कि CDOT के इस केन्द्र पर कुशल युवा कार्यक्रम का क्लास रुम सत्र निर्धारित मापदण्डों के आधार पर संचालित नहीं हो रहा था ।

निरीक्षण में पाये गये त्रुटियों के आधार पर बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या–BSDM/SDM-18/2017-139 दिनांक–05.02.2018 के द्वारा एजेंसी CDOT से स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा तत्काल प्रभाव से इस केन्द्र पर प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन को अवरुद्ध कर दिया गया ।

पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में CDOT के सचिव के द्वारा अपने पत्र संख्या–CDOT/PAT/KYP/16895/2018 दिनांक–07.02.2018 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । अपने स्पष्टीकरण में एजेंसी के द्वारा इस केन्द्र पर पायी गयी त्रुटियों के लिए क्षमा याचना की गयी तथा यह उल्लेख किया गया कि क्लास रुम का प्रोजेक्टर खराब हो जाने के कारण इसे मरम्मति हेतु भेजा गया था, जिसके कारण क्लास रुम में प्रोजेक्टर उपलब्ध नहीं था । स्पष्टीकरण में यह कहा गया कि क्लास रुम में नया प्रोजेक्टर अधिष्ठापित कर दिया गया है । उपस्करों पर पड़े धूल के संबंध में उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि भविष्य में क्लास रुम सत्र के अनुश्रवण तथा साफ–सफाई पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ।

एजेंसी CDOT से प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नहीं है । एजेंसी के द्वारा यह स्वीकार किया जाना कि क्लास रुम में प्रोजेक्टर उपलब्ध नहीं था, यह प्रमाणित करता है कि केन्द्र पर क्लास रुम सत्र संचालित करने में एजेंसी के द्वारा तत्परता नहीं बरती गयी है । क्लास रुम के उपस्करों पर धूल जमा होने की बात स्वीकार किया जाना भी यह प्रमाणित करता है कि इस केन्द्र पर नियमित क्लास रुम सत्र का संचालन नहीं किया जाता है ।

अतः एजेंसी CDOT से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उन्हें कठोर चेतावनी निर्गत की जाती है तथा उनके केन्द्र पर प्रशिक्षणार्थियों के अवरुद्ध नामांकन को विमुक्त किया जाता है । साथ हीं क्लास रुम सत्र के अनियमित संचालन के प्रमाणित आरोपों के लिए उनके इस केन्द्र के माह जनवरी, 2018 बैच के Final Invoice से 30% की राशि कटौती की जाती है । उन्हें यह भी चेतावनी निर्गत किया जाता है कि भविष्य में यदि इस केन्द्र के संचालन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पायी जाती है तो इस केन्द्र पर प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन को स्थायी रुप से अवरुद्ध कर दिया जायेगा तथा नामांकित छात्रों का प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात इस केन्द्र को स्थायी रुप से बंद कर दिया जायेगा ।

ह0/–
(दीपक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक–BSDM/SDM–18/2016–274 पटना,दिनांक– 09-03-2018

प्रतिलिपि– (1) एजेंसी मेसर्स CDOT गोला रोड, दानापुर, पटना KYP code 06050016 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) मिशन निदेशक/ प्रशासी पदाधिकारी/ मिशन प्रबंधक, कार्यक्रम क्रियान्वयन/ मिशन प्रबंधक, वित्त, बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मिशन प्रबंधक, वित्त को आदेश दिया जाता है कि वे एजेंसी मेसर्स CDOT के कौशल प्रशिक्षण केन्द्र KYP code 06050016 के माह जनवरी, 2018 बैच के Final Invoice से 30% की राशि कटौती करना सुनिश्चित करें । मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन को आदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति को सभी SDC/BSDC को परिचारित करना सुनिश्चित करें ।

(3) Project Director, MKCL/ Project Director, SPMU(E&Y)/ SPMU Incharge, पटना/ श्री रत्नदीप सिंह, प्रबंधक,MIS & M&D को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को बिहार कौशल विकास मिशन के Web portal पर Upload करना/कराना सुनिश्चित करें ।

9/3/18

प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन ।